

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 421/सो.आ.नि.-3/503/2020

दिनांक: 28 अक्टूबर, 2020

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, हापुड़ व कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषय:- समवर्ती सोशल आडिट हेतु टीम सदस्यों के व्यवसायिक शुल्क के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वर्तमान में रेगुलर सोशल आडिट न कराकर समवर्ती सोशल आडिट सम्पादित कराई जा रही है। भारत सरकार के परिपत्र में उल्लिखित निर्देश के अनुसार समवर्ती सोशल आडिट हेतु सम्बन्धित टीम सदस्य को एक दिन का पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जिन टीम सदस्यों द्वारा समवर्ती सोशल आडिट की जा रही है उनके व्यवसायिक शुल्क के रूप में प्रति आडिट रू० 201/- के भुगतान हेतु धनराशि की मांग संलग्न प्रारूप पर प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे धनराशि का आबंटन किया जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(उदयरज यादव)

कन्सलटेन्ट

कृते-निदेशक

पत्रांक- /सो०आ०नि०- /2020, तददिनांक

प्रतिलिपि- लेखा अनुभाग, सोशल आडिट निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(उदयरज यादव)

कन्सलटेन्ट

कृते निदेशक

समवर्ती सोशल आडिट हेतु टीम के सदस्यों के व्यवसायिक शुल्क के मांगपत्र का प्रारूप

जनपद का नाम -

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित सोशल आडिट संख्या	वास्तविक सम्पन्न सोशल आडिट संख्या	टीम के सदस्यों की संख्या	धनराशि (रु. 201/ सदस्य की दर से)
1	2	3	4	5	6	7
कुल योग						
धनराशि (शब्दों में)						